आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद संख्या –233/2023

माधुरी कुंवर

बनाम

1. जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा
2. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, प्रभुनाथ यादव, उमेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह प्रतिवादी संख्या 01 और 02 के तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 **01.11.2024**	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–13/2019 में दिनांक– 12.06.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एकमा, सारण द्वारा दिनांक 10.01.2019 को पूर्वाह्न 11:55 बजे पुनरीक्षणकर्ता के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति संख्या 108/2016 के दुकान की जाँच की गई एवं जाँचोपरांत जाँच पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएँ अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा को प्रतिवेदित की गई :– (i) दुकान पर खाद्यान्न का नमूना प्रदर्शित नहीं पाया गया। (ii) विक्रेता द्वारा योजनावार भंडार पंजी/ वितरण पंजी संधारित नहीं पाया गया। (iii) वितरण पंजी पर उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। (iv) उपभोक्ताओं को कैशमेमो दिया जाता है परन्तु उस पर दिनांक तथा अन्य सूचना सही तरीके से नहीं भरा पाया गया। (v) वजन एवं माप अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया। (vi) विक्रेता द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न/ किरासन तेल की सूचना निगरानी/ अनुश्रवण समिति के प्रतिनिधियों को	

Web Copy Not Official

नहीं दी जाती है और न ही पंजियों पर उनका हस्ताक्षर पाया गया।

(vii) दो उपभोक्ताओं द्वारा माह दिसम्बर 2013 का खाद्यान्न नहीं मिलने का बयान दर्ज कराया गया।

उपरोक्त अनियमितता के बिन्दु पर पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा ज्ञापांक 691 दिनांक 30.01.2019 से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसके अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा ने अपने आदेश ज्ञापांक 843 दिनांक 09.03.2019 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति सं0 108/ 2016 को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा के न्यायालय में वाद सं0–13/ 2019 दायर किया गया। जिला दंडाधिकारी, सारण द्वारा दिनांक 12.06.2023 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। जिला दंडाधिकारी, सारण के आदेश से अंसतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार :–

(i) साल बदल जाने के कारण तथा खाद्यान्न अगले माह का उठाव नहीं होने के कारण खाद्यान्न का नमूना दुकान पर प्रदर्शित नहीं था क्योंकि वितरण का काम बन्द था।

(ii) वितरण पंजी एवं भण्डार पंजी का योजनावार संधारित किया जाता है परन्तु जाँच के माह में भंडार पंजी एवं वितरण पंजी आपूर्त्ति पदाधिकारी, एकमा द्वारा बदल दी गई थी तथा खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ था इस कारण भंडार पंजी एवं वितरण पंजी का योजनावार संधारण नहीं हुआ था।

(iii) चुँकि वितरण पंजी बदल दी गई थी तथा नया उठाव नहीं हुआ था, इस कारण वितरण पंजी पर उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर/ निशान नहीं पाया गया।

(iv) उपभोक्ताओं को कैशमेमो विधिवत् दिया जाता है, परन्तु भूलवश किसी–किसी उपभोक्ता के हस्ताक्षर/ निशान या तारीख छुट गया होगा परन्तु पहले वाले कैशमेमो तथा बाद वाले कैशमेमो से स्पष्ट होगा कि वितरण के कैशमेमो में कोई त्रुटि नहीं है।

(v) दुकानदार द्वारा वजन एवं माप अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु

Web Copy Not Official

वजन एवं माप विभाग, छपरा के यहाँ जमा था, इसलिए प्रस्तुत नहीं किया परन्तु यह बात जाँचकर्त्ता की स्पष्ट को रूप से बता दी गई।

(vi) उठाव किये गये खाद्यान्न एवं किरासन तेल की सूचना निगरानी समिति के सदस्यों को देकर ही वितरण किया जाता है, परन्तु उन सदस्यों के पास समयाभाव में वितरण के समय आने की कोई संभावना नहीं होती है। इसलिए कभी–कभी हस्ताक्षर वितरण पंजी पर छूट जाता है।

(vii) जिन दो उपभोक्ताओं का माह दिसम्बर में खाद्यान्न नही देने की बात कही गई है वह बिल्कुल गलत एवं सत्य से परे है। जो दो उपभोक्ता का बयान दर्ज कराया गया है, वे दुकानदार की दुकान से संबंधित नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अनुसार विक्रेता द्वारा ''बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016'' के मार्गदर्शिका के विपरीत आचरण किया गया है। अतः विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना उचित है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को विस्तारपूर्वक सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों तथा निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है किः–

(i) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एकमा, सारण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के दुकान के जाँच के क्रम में पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता –सह– जिला दंडाधिकारी, सारण, के न्यायालय में वाद सं0–13/2019 दायर किया गया, जिसमें जिला दंडाधिकारी, सारण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 12.06.2023 को मुखर आदेश पारित किया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कोई प्रक्रियात्मक/ वैधानिक त्रुटि नहीं है।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता पर खाद्यान्न का नमूना प्रदर्शित नहीं करने, योजनावार भंडार पंजी, वितरण पंजी संधारित नहीं करने, वितरण पंजी पर उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर नहीं करवाने, नियमानुसार कैशमेमो नहीं दिए जाने, वजन एवं माप अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किए जाने, खाद्यान्न/ किरासन तेल

Web Copy Not Official

की सूचना निगरानी/ अनुश्रवण समिति के प्रतिनिधियों को नहीं दिए जाने एवं दो उपभोक्ताओं को माह दिसम्बर 2018 का खाद्यान्न नहीं मिलने का प्रमाणित आरोप है।

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदे□ा, 2016 के कंडिका 14(i), (iv), (vi), (vii) एवं (ix) में अंकित है किः–

(i) अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।''

(iv)''अनुज्ञप्तिधारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विहित्त खुदरा निर्गम मूल्य पर राशन कार्ड धारक को उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों का विक्रय करेगा। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं की विक्री के पश्चात प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमेमो (अनुसूची 05 के अनुसार) देगा। जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उसका हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान लेगा। कैशमेमो की कार्बन प्रति (द्वितीय प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या और पता भी मुद्रित रहेगा।''

(vi)''अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड के धारकों के अभिलेखों अर्थात स्टॉक रजिस्टर, निर्गमन या विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत विहित् फॉर्मेट में करेगा, जिसमें अनुक्रमिक रीति में इलेक्ट्रानिकी फॉर्मेट भी रहेगा।''

(vii)''अनुज्ञप्तिधारी अपनी दुकान के सहज दृश्य स्थान पर उठाव के समय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं के सील बंद नमूने का प्रदर्शन करेगा।''

(ix)''अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक मास के अंत में उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्नों के वास्तविक वितरण तथा शेष स्टॉक के लेखों का प्रतिवेदन अनुज्ञापन पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को स्थानीय मुखिया या नगर निकाय के प्रमुख, जैसा मामला हो, तथा स्थानीय सतर्कता समिति के किसी एक सदस्य के सत्यापन के साथ

Web Copy Not Official

समर्पित करेगा, और उसकी एक प्रति पंचायत या नगर निकाय को भेजेगा।''

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के अनुसूची–03 अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व के कंडिका 19 में अंकित है कि ***''अनुज्ञप्तिधारी सही वजन एवं माप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्त्ति के लिए तराजू, बटखारा एवं अन्य उपकरण का वार्षिक सत्यापन माप–तौल विभाग से ससमय कराकर दुकान में रखेगा।''***

इस प्रकार स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता का कृत्य बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम 14(i), (iv), (vi), (vii), (ix) एवं अनुसूची–03 अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व के कंडिका 19 में वर्णित शर्त्तो के प्रतिकूल है तथा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विखंडन किया जा सके। निम्न न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता को अपना पक्ष रखने का समूचित मौका देने के बाद मुखर आदेश पारित किया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तद्नुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को <u>खारिज</u> किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

Web Copy Not Official